न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संदीप काकड़ आर.ए.एस.

क्रमांक : 19/25 GCMS:- 2025/56 **दिनांक :** 27.1.25

रामस्वरूप पुत्र भागीरथ उर्फ भागचन्द जाति मेघवाल निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। – **प्रार्थी**

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) – **अप्रार्थी**

उपस्थिती : एडवोकेट रामस्वरूप बारूपाल – प्रार्थी

तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ – अप्रार्थी

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम</u>

निर्णय **दिनांक :** 27.1.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में विचारण तथ्य यह है कि प्रार्थी के पिता द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 3 पी.पी.एम. 'ए' के खाता नं. 107/80 में 2.530 है0 अनकमाण्ड पुख्ता आवंटन भूमि व चक 3 पी.पी.एन. 'ए' के खाता नं. 53/44 में 8.730 है0 गैर खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम भागीरथ पुत्र जेठाराम नाम दर्ज है। प्रार्थी के पिता भागीरथ उर्फ भागचन्द का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी के पिता का नाम वास्तविक नाम भागीरथ उर्फ भागचन्द है। प्रार्थी के पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, में भागचन्द पुत्र जेठाराम नाम दर्ज है। भागीरथ उर्फ भागचन्द जाति मेघवाल निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भागीरथ उर्फ भागचन्द पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ नाम दुरूस्ती की प्रार्थना की। यह प्रार्थनापत्र तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष पेश किया गया व उनके द्वारा बाद रिपोर्ट पटवारी उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया गया।

प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर प्रार्थी को जरिये अभिभाषक सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुए रिपोर्ट पटवारी एंव तहसीलदार सूरतगढ़ के प्रस्तुतिकरण की और ध्यान दिलाया। प्रस्तुत साक्ष्य से प्रार्थनापत्र की पुष्टि होना प्रकट किया व प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

राज्य पक्ष की और से राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थनापत्र निर्णय की प्रार्थना की गयी।

बाद सुनवाई पत्रावली के तथ्यों के परिवेश में अवलोकन करने पर पाया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 3 पी.पी.एम. 'ए' के खाता नं. 107/80 में 2.530 है0 अनकमाण्ड पुख्ता आवंटन भूमि व चक 3 पी.पी.एन. 'ए' के खाता नं. 53/44 में 8.730 है0 गैर खातेदारी भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम भागीरथ पुत्र जेठाराम के स्थान पर भागीरथ उर्फ भागचन्द पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ क[illegible]कर नाम दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार नाम क[illegible] अलग से तहसीलदार के नाम से जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.31 13:14:45 IST
Reason: SelfAttested

आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)